

चंडीगढ़ हरियाणा सरकार ने गुडगांव में राबर्ट बाड्रा और रयिल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के बीच हुए भूमि के दाखलि-खारजि के रद्द करने में प्रशासनिक अनियमितता बरतने के संबंध में आईएलएस अधिकारी अशोक खेमक के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने का फैसला किया है।

अधिकारियों ने आज बताया कि मुख्य सचिव पी के चौधरी ने प्रशासनिक शाखा की टिप्पणियों को संकलित करके उन्हें मुख्यमंत्री भूपदीर सहि हुड्डा को भेजा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट बाड्रा के संबंध में नरिणय पर खेमक के खिलाफ करवाई को मंजूरी दी है।

1991 बैच के आईएलएस अधिकारी के खिलाफ अखलि भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियमों के नियम आठ के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।

खेमक ने कहा कि उन्हें अभी आरोप पत्र नहीं मिला है और इसलिये वह इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। आईएलएस अधिकारी खेमक पर गुडगांव के शक्तिपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन का दाखलि खारजि रद्द करने का आदेश पारित करने के मामले में अपने अधिकार से आगे जाकर कथित प्रशासनिक अनियमितता बरतने का आरोप है। यह जमीन वाड्रा ने डीएलएफ को बेची थी।

खेमक को चक्रंदी वभिग के महानदेशक (डीजीएच) और पंजीकरण के महानरीक्षक पद से 11 अक्टूबर 2012 को स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद खेमक ने गत वर्ष 12 और 15 अक्टूबर को वाड्रा की संपत्तिया गुडगांव, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में उनकी कंपनियों के कथित अल्प मूल्यांकन के मामले में जांच के आदेश दिये थे और 3.5 एकड़ भूमि का दाखलि खारजि रद्द कर दिया था।

खेमक को इस दौरान राज्य सरकार के कर्तव्यों और नीतियों की सार्वजनिक आलोचना करने के लिये भी जवाबदेह बनाया गया है।

खेमक के आदेशों की जांच के लिये गठित हरियाणा सरकार की समिति ने बाद में इन आदेशों को अनुचित और अधिकार क्षेत्र से परे पाया था।

(भाषा)